स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

छठा तल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन,
नई दिल्ली- 110003

F. No. AKG/15/2019/STGUP/ATOTH/RU-I

दिनाक: 01.11.2019

सेवा में,

1 ज़िला अधिकारी,
ज़िला- बलिया,
(उत्तर प्रदेश)

2 पुलिस अधीक्षक,
ज़िला- बलिया,
(उत्तर प्रदेश)

विषय: तहसीलदार सिकंदरपुर द्वारा गाली गलौज करने के संबंध में- श्री अरविंद कुमार गोंड, वर्तमान पता- B 13/9 जनता फ्लैट्स, सैक्टर-71, नोएडा का दिनाक 19.06.2019 का अभ्यावेदन ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, श्री एच.सी.वसावा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनाक 24.09.2019 समय 11.30 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति (संलग्न) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है ।

यह अनुरोध है कि आयोग द्वारा की गई अनुसंशाओं पर कार्यवाही रिपोर्ट निर्धारित अवधि के अंदर भेजने का कष्ट करे ।

भवदीय,

(एस.पी.मीना)
सहायक निदेशक
दूरभाष: 24641640

प्रतिलिपि:

श्री अरविंद कुमार गोंड,
वर्तमान पता- B 13/9 जनता फ्लैट्स,
सैक्टर-71, नोएडा
(उत्तर प्रदेश)
(मो: 8851202063, 9999400508)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Member (HCV), NCST
2. NIC (please upload on the Commission's website)

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाइल सं0 AKG/15/2019/STGUP/ATOTH/RU-I

गोंड अनुसूचित जनजाति के नाम से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पुनः जाति प्रमाण पत्र जारी करवाने के संबंध में तहसीलदार सिकंदरपुर (श्री जितेंदर सिंह) जिला बलिया (उत्तर प्रदेश) द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर दुर्व्यवहार करने, जाति सूचक शब्दों से आहत करने, गाली गलौज कर मारपीट करने संबंधी श्री अरविन्द कुमार गोंड निवासी बी 13/9, जनता फ्लैट्स, सेक्टर–71, नोएडा की शिकायत पर आयोग के माननीय सदस्य, श्री हर्षदभाई वसावा के समक्ष दिनांक 24.09.2019 को आयोग में हुई सीटिंग का कार्यवृत्त।

सीटिंग में भाग लेने वाले – परिशिष्ट क

श्री अरविन्द कुमार गोंड निवासी बी 13/9, जनता फ्लैट्स, सेक्टर–71, नोएडा ने अभ्यावेदन दिनांक 19.06.2019 के द्वारा आयोग को अवगत कराया है कि वह ग्राम पिलुई, तहसील सिकंदरपुर, जनपद–बलिया का गोंड अनुसूचित जनजाति का मूल निवासी है और वर्तमान में नोएडा में रहता है। वर्ष 2013 से उसको और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र तहसील सिकंदरपुर, जनपद बलिया से जारी हुआ है जिसे अब भारत सरकार के पोर्फोमा पर जारी करवाना आवश्यक है। किंतु तहसीलदार, सिकंदरपुर जिला बलिया द्वारा भारत सरकार के प्रोर्फोमा पर अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने से साफ मना कर दिया गया बल्कि उनके साथ जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया गया एवं मारपीट की गई। जिसके लिए श्री अरविंद कुमार गोंड ने आयोग को न्याय के लिए अनुरोध किया है।

आयोग द्वारा मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने एवं रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 20.06.2019 तथा अनुस्मरण पत्र 09.08.2019 के द्वारा जिलाधिकारी, बलिया तथा पुलिस अधीक्षक, बलिया को लिखा गया। मामले में आयोग के उपरोक्त पत्रों के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, बलिया द्वारा उत्तर रिपोर्ट दिनांक 21.08.2019 आयोग को प्रेषित की गयी। उत्तर रिपोर्ट को संतोषजनक नहीं जाये जाने पर आयोग के माननीय सदस्य श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा द्वारा जिलाधिकारी, बलिया तथा पुलिस अधीक्षक, बलिया के साथ दिनांक 24.09.2019 को आयोग में सीटिंग निश्चित की गई। तद्नुसार संबंधित को सीटिंग नोटिस जारी किया गया।

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रकरण में दिनांक 24.09.2019 को जिलाधिकारी, बलिया की ओर से उप जिलाधिकारी, सिकंदरपुर तथा पुलिस अधीक्षक, बलिया की ओर से क्षेत्राधिकारी, सिकंदरपुर आयोग के समक्ष सीटिंग में उपस्थित हुए। अभ्यावेदक श्री अरविंद कुमार गोंड भी उक्त सीटिंग में उपस्थित हुए।

मामले में विस्तृत चर्चा/सुनवाई हुई। चर्चा दौरान माननीय सदस्य द्वारा अभ्यावेदक श्री अरविंद कुमार गोंड को अपनी शिकायत आयोग को स्पष्ट करने को कहा जिस पर श्री अरविन्द कुमार गोंड निवासी बी 13/9, जनता फ्लैट्स, सेक्टर–71, नोएडा ने अभ्यावेदन दिनांक 19.06.2019 के द्वारा आयोग को अवगत कराया है कि वह ग्राम पिलुई, तहसील सिकंदरपुर, जनपद–बलिया का गोंड अनुसूचित जनजाति का मूल निवासी है और वर्तमान में नोएडा में रहता है। वर्ष 2013 से उसका और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र तहसील सिकंदरपुर, जनपद बलिया से जारी हुआ है जिसे अब भारत सरकार के पोर्फोमा पर जारी करवाना आवश्यक है। इसके लिए उसके बड़े भाई दिनांक 03.06.2019 को तहसीलदार सिकंदरपुर के कार्यालय में मिले किंतु तहसीलदार, श्री जितेंदर सिंह ने मना कर उनको कार्यालय से भगा दिया जिस पर उनके द्वारा जिलाधिकारी, बलिया को सारी जानकारी देकर सहायता के लिए अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 06.06.2019 वह स्वयं जिलाधिकारी, बलिया से मिला और उनकी उक्त समस्या के बारे में अवगत कराया। जिला अधिकारी के निदेशानुसार उक्त संबंध में वह दिनांक 17.06.2019 को तहसीलदार सिकंदरपुर से उनके कार्यालय में मिला। किंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए मना करते हुए कार्यालय से निकल जाने के लिए कहा। उक्त दौरान तहसीलदार सिकंदरपुर ने उसको जातिगत शब्दों से गाली गलौज करते हुए अपमानित किया तथा मारपीट की और कहा कि तुम्हें जो करना हो कर लेना।

मामले में माननीय सदस्य ने उप जिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी, सिकंदरपुर, जिला बलिया से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। जिस पर उप जिलाधिकारी ने आयोग को अवगत कराया कि जिलाधिकारी, बलिया द्वारा निर्धारित बिंदुओं के आधार पर भी जिले में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। निर्धारित बिंदुओं के आधार पर श्री अरविंद गोंड द्वारा तहसीलदार, सिकंदरपुर को आवेदन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप उनको उक्त अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। यदि जिलाधिकारी बलिया द्वारा निर्धारित बिंदुओं के आधार पर आवेदक संबंधित तहसीलदार के कार्यालय में आवेदन करे तो उनको वांछित जाति प्रमाण जारी किया जा सकता है।

मामले में विस्तृत चर्चा करने के उपरांत आयोग ने पाया है कि उत्तर प्रदेश में गोंड अनुसूचित जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में संबंधित तहसीलदार द्वारा औपचारिकताएं ज्यादा दिखा कर लापरवाही बरती जाती है। अतः इस मामले में आयोग जिलाधिकारी, बलिया को सिफारिश करता है कि:–

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

1. श्री अरविंद कुमार गोंड को वर्ष 2013 में गोंड अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार सिकंदरपुर जिला बलिया से जारी किया हुआ प्राप्त है जो कि डीजीटल भी है। अतः श्री अरविंद कुमार गोंड तुरंत भारत सरकार के प्रोफोंमा पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

2. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि जब भी कोई अनुसूचित जनजाति का अभ्यार्थी जाति प्रमाण पत्र जारी करवाने के संबंध में संबंधित तहसीलदार को मिलता है या निवेदन करता है तो उसके साथ तहसीलदार द्वारा अनुशासनात्मक बर्ताव करते हुए उनकी समस्या का समाधान किया जाए।

3. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के साथ जाति प्रमाण पत्र बनवाने संबंधी अनुरोधों पर उनके साथ जातिगत दुर्व्यहार नहीं किया जाए।

मामलें में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को अविलम्ब भिजवाई जाए।

Harshadbhai Vasava
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

परिशिष्ट–क

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाइल सं0 AKG/15/2019/STGUP/ATOTH/RU-I

गोंड अनुसूचित जनजाति के नाम से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पुनः जाति प्रमाण पत्र जारी करवाने के संबंध में तहसीलदार सिकंदरपुर (श्री जितेंदर सिंह) जिला बलिया (उत्तर प्रदेश) द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर दुर्व्यवहार करने, जाति सूचक शब्दों से आहत करने, गाली गलौज कर मारपीट करने संबंधी श्री अरविन्द कुमार गोंड निवासी बी 13/9, जनता फ्लैट्स, सेक्टर–71, नोएडा की शिकायत पर आयोग के माननीय सदस्य, श्री हर्षदभाई वसावा के समक्ष दिनांक 24.09.2019 को आयोग में हुई सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली

1. श्री हर्षदभाई वसावा, माननीय सदस्य — अध्यक्ष
2. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
3. श्री एच.आर. मीना, वरिष्ठ अन्वेषक
4. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, परामर्शक

जिला मजिट्रेट, जिला–बलिया (उत्तर प्रदेश)

1. श्री राजेश कुमार यादव, उप जिलाधिकारी, सिकंदरपुर, जिला बलिया

पुलिस अधीक्षक, जिला–बलिया

1. श्री पवन कुमार, क्षेत्राधिकारी, सिकंदरपुर

अभ्यावेदक

1. श्री अरविंद कुमार गोंड